

मांग संख्या 66  
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में आवासरत् पात्र छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 2

अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु ₹ 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 2

नया रायपुर में हज़ भवन के बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु ₹ 24.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।